राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 25/2014/अलवर
2. अपील संख्या 1008/2014/अलवर
3. अपील संख्या 1009/2014/अलवर
4. अपील संख्या 1723/2014/अलवर
5. अपील संख्या 1724/2014/अलवर
6. अपील संख्या 1005/2015/अलवर
7. अपील संख्या 175/2016/अलवर
8. अपील संख्या 176/2016/अलवर

मैसर्स पारले बिस्किट्स प्रा.लि., नीमराणा, अलवर .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, भिवाड़ी .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

निर्णय दिनांक :19.07.2017

स्व–प्रेरणा संशोधित आदेश

1. उपर्युक्त अपीलों में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ध्यान में लाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर बोर्ड में अपील संख्या 25, 1008, 1009, 1723, 1724/14, 1005/15, 175/16 एवं 176/16/अलवर प्रस्तुत की गयी थी, जिनमें ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (ऑरेन्ज बाइट, फुलटॉस ग्रीन मैंगो चटनी, चीजलिंग एमएसरी बाइट स्टीक्स आदि) एवं फ्राईड पोटेटे चिप्स की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त वस्तुओं की बिक्री पर 14 प्रतिशत की कर देयता मानकर अन्तर कर 9 प्रतिशत से कर आरोपित किया तथा अन्तर कर अदत्त मानकर उस पर ब्याज आरोपित किया है जिससे क्षुब्ध होकर उक्त दोनों बिन्दुओं को कर बोर्ड के समक्ष विवादित किया गया था किन्तु माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा उक्त अपीलों का निस्तारण निर्णय दिनांक 15.06.2017 को किया गया, जिसमें केवल कन्फेक्शनरी के बिन्दु पर निर्णय दिया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया है व पोटेटो चिप्स के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया है जिसके फल्स्वरूप पोटेटो चिप्स पर आरोपित कर व ब्याज आदि यथावत रह गये हैं। उन्होंने बताया कि बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन 199/2009 पेप्सिको इण्डिया होल्डिग्स प्रा.लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 को उद्धृत किया था। उक्त निर्णय के अनुसरण में कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 640 से 644/09 एवं 572/09/जयपुर मैं I.T.C लिमिटेड, दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड़, सी स्कीम, जयपुर

बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन जोन तृतीय, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 में फ्राइड पोटेटो चिप्स पर 4 प्रतिशत की कर देयता अवधारित की गई है, जिससे पोटेटो चिप्स का बिन्दु उक्त न्यायिक दृष्टान्त से आच्छादित होने से पोटेटो चिप्स के बिन्दु को भी निस्तारित करते हुए अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार कर आरोपित अन्तर कर व ब्याज को अपास्त करने का निवेदन किया गया। प्रकरणों में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा इस सम्बन्ध में स्वप्रेरणा से निर्णय पारित किया जाना चाहिए क्योंकि यदि अपीलार्थी रेक्टीफिकेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं तो निर्णय पारित होने में काफी समय लगेगा जो कि न्यायोचित नहीं है क्योंकि खण्डपीठ ने जो कर देयता अपीलार्थी की बनती थी उसके सम्बन्ध में तो निर्णय पारित कर दिया है किन्तु पोटटो चिप्स के बिन्दु पर अपीलार्थी की कर देयता नहीं बनती है जिसके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है जिससे अपीलार्थी की कर देयता यथावत रह गयी है। इन्होंने यह भी कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत S.B Sales revision No. 199/2009 पोप्सिको इण्डिया होल्डिंग्स प्रा.लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 31.03.2017 के परिप्रेक्ष्य में पोटेटो चिप्स पर 14 प्रतिशत कर देयता नहीं बनती है जिसका लाभ अपीलार्थी को देय है अतः इस सम्बन्ध में यदि निर्णय शीघ्र पारित नहीं किया जाता है तो अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उनकी ओर से प्रस्तुत की गई लिखित बहस पर विचार करने पर खण्डपीठ द्वारा पत्रावली काल की गई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी द्वारा अपीलों में शुगर केन्डी व पोटेटो चिप्स पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत कर आरोपित किये जाने के बिन्दु को विवादित किया गया है। बहस के समय चूँकि विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर्ड होने का कथन किया था व विस्तार पूर्वक बहस न होकर विद्वान अभिभाषक महोदय ने संक्षेप में यह कथन किया था कि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से कवर्ड है । शुगर केन्डी के बिन्दु पर हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.एसटीआर रिवीजन संख्या 473/2011 मैसर्स परपेटी वैन मेले इण्डिया प्रा.लि.,जयपुर बनाम अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 में शुगर केन्डी पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत निर्धारण को विधि सम्मत ठहराया है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के इस न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में हाल ही में ऐसी समान अपीलों को (अपील संख्या 640/09 आदि निर्णय दिनांक 26.04.2017). निस्तारित किया गया जिनमें खण्डपीठ द्वारा इस न्यायिक दृष्टान्त से कवर्ड मानते हुए इन अपीलों का निस्तारण कर दिया गया था परन्तु अपील संख्या 176/2016 को छोडकर शेष अपीलों में शुगर केन्डी

के अलावा पोटेटो चिप्स का बिन्दु था जिस पर कोई विवेचन नहीं किया गया क्योंकि खण्डपीठ का ध्यान शुगर कैन्डी के बिन्दु पर ही केन्द्रित था व पोटेटो चिप्स के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बहस नहीं होने के कारण यह बिन्दु ध्यान से छूट गया व निर्णय में यह बिन्दु Escape हो गया परन्तु इन अपीलों में पारित किये गये मूल निर्णय दिनांक 15.06.2017 में पोटेटो चिप्स पर आरोपित कर आदि यथावत रह गया । इस प्रकार यह रकार्ड से प्रत्यक्षदर्शी भूल है। खण्डपीठ यह उचित समझती है कि चूंकि शुगर केन्डी का बिन्दु पर अपीलार्थी के विरूद्ध था, के सम्बन्ध में तो निर्णय पारित हो गया है किन्तु पोटेटो चिप्स के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सका, जो न्यायोचित नहीं है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 की धारा 33 के अन्तर्गत Suo motu निर्णय को संशोधित किये जाने का प्रावधान है। समस्त परिस्थितयो मे ध्यान में रखते हुए न्यायोचित समानता के आधार पर पोटेटो चिप्स के बिन्दु पर भी खण्डपीठ रेक्टीफिकेशन के माध्यम से निर्णय पारित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत मानती है।

3. उपलब्ध रेकॉर्ड व निर्णय दिनांक 15.06.2017 का अवलोकन किया गया, साथ ही माननीय कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 640 से 644/09 एवं 572/09/जयपुर मैं I.T.C लिमिटेड, दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड़, सी स्कीम, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन जोन तृतीय, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 का अवलोकन किया गया।

4. रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है, दिनांक 15.06.2017 को पारित में विवादित बिन्दु पोटेटो चिप्स पर निर्णय देना छूट गया है, जो रिकॉर्ड की परिलक्षित भूल होने से स्व–प्रेरणा से संशोधित आदेश पारित किया जा रहा है। ।

5. विचाराधीन अपीलों का विवरण निम्न तालिका के अनुसार है :–

अ.स.	शुगर केन्डी पर आरोपित अन्तर कर	पोटेटो चिप्स पर आरोपित अन्तर कर
1	2	3
25/14	15687902/–	(कन्फैक्शनरी व पोटेटा चिप्स दानों का कर कॉलम संख्या दो में सम्मिलित है।)
1008/14	13175382/–	6447420/–
1009/14	7388263/–	2541481/–
1723/14	18292126/–	11964357/–
1724/14	28129356/–	10342128/–
1005/14	7220436/–	2323177/–
175/14	15165512/–	3274085/–
176/14	4882963/–	–

खण्डपीठ द्वारा अपने मूल निर्णय दिनांक 15.06.2017 में शुगर कैन्डी से सम्बन्धित बिन्दु पर आरोपित कर आदि को यथावत रखते हुए अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा गया है। पोटेटो चिप्स के बिन्दु पर कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 640 से 644/09 एवं 572/09/जयपुर मैं I.T.C लिमिटेड, दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड़, सी स्कीम, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन जोन तृतीय, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत S.B Sales revision No. 199/2009 पोप्सिको इण्डिया होल्डिंग्स प्रा.लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 31.03.2017 के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिया गया है :–

".....अपीलार्थी द्वारा पोटेटो चिप्स (Bingo) का विक्रय किया है तथा अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 के सम्मुख विनिर्दिष्ट कर दर के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया है जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 131 के सम्मुख विनिर्दिष्ट कर दर के अनुसार 12.8 प्रतिशत मानकर कर का आरोपण किया है।

7. इस क्रम में अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 एवं 131 को यहां उद्धरित किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है :–

"107.Processed or preserved vegetable and fruits including fruit jem,jelly, pickle, fruit squash, paste, fruit frink and fruit juice, sharbat and thandai."

131.Sweatmeat(Deshi) and unbranded namkeen including dried potato chips."

8. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन 199/2009 पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग्स प्रा.लि., जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 31.03.2017 के पैरा संख्या 19, 20, एवं 22 के अनुसार.....

(19) After analyzing the judgments referred to hereinbefore, in my view, it cannot be disputed that Potato is a vegetable, and after going through the process of slicing,frying and spicing, "Potato Chips" does not cease to be a vegetable. It is irrelevant as to whether it becomes a snack item or not, but then it does not take a snack item outside the entry of 'Processed Vegetables'. The characteristics of Potato does not change and merely because by processing Potato, "Potato Chips" are produced/manufactured, in my view, it will certainly remain as Potato and would be a 'Processed Vegetable'.

(20) Material is available on record that the Ministry of Food Processing Industry has understood processing of Poraro Wafers or Chips as Vegetable Processing Industry and even the Govt of India has understood "Potato Chips" to be a Vegetable Product for the purposes of classification under the Central Excise Tariff Act.

20–

Analysing the above, "Potato Chips" can certainly be taken within the definition of 107 taking within its compass all other species including "Potato Chips" belonging to the common genus of the 'Processed Vegetables'. and if any particular item is classifiable under a specific entry in a Schedule, such item or commodity must not be relegated to the Residuary entry. Even if common parlance test is applied, it can always be noticed that it would certainly fall within the category of 'Processed Vegetables.'

उपरोक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के उक्त दृष्टांत से पूर्णतया आच्छादित है एवं इसे अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 में माना गया है। अतः समान तथ्यों पर आधारित इस निर्णय के अनुसार ब्रांडेड पोटेटो चिप्स की कर दर 4 प्रतिशत होना अवधारित करते हुये अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है।"

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पोटेटो चिप्स पर 4 प्रतिशत की कर देयता अवधारित की गई है जिससे स्पष्ट है कि पोटेटो चिप्स पर 4 प्रतिशत की दर देयता बनती है । अतः पोटेटो चिप्स पर आरोपित अन्तर कर व ब्याज को अपास्त करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को पोटेटो चिप्स पर आरोपित व ब्याज की सीमा तक अपास्त किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे कर निर्धारण आदेश में पोटेटो चिप्स के विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता मानते हुए तद्नुसार अधिक जमा कर व उस पर आरोपित ब्याज तथा परिणास्वरूप (consequential) जो भी लाभ नियामानुसार देय हो अपीलार्थी को दिये जावें। शुगर केन्डी के सम्बन्ध में पूर्व में पारित आदेश यथावत रहेगा ।

7. इस स्व–प्रेरणा संशोधित आदेश की प्रति कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 के साथ सलंग्न की जावें तथा सम्बन्धित पक्षकारों की इसकी प्रति भिजवाई जावे।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम) 14/7/2017
सदस्य